आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2012–13 एवं 2013–14

(1) देशी मदिरा

1.1 अवधि :

देशी मदिरा के समूहों का बन्दोबस्त आगामी दो वर्षों यथा वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 हेतु, किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1.2 बन्दोबस्त की प्रणाली :

वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 हेतु बन्दोबस्त प्रणाली निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है:–

1.2.1 देशी मदिरा के वर्ष 2011–12 के अनुज्ञाधारियों को समूहवार एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली पर निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 के लिये नवीनीकरण का विकल्प दिया जाने का निर्णय लिया गया है। किन्ही परिस्थितियों में वर्ष 2011–12 के अनुज्ञाधारियों द्वारा नवीनीकरण का विकल्प प्रस्तुत नही करने पर ऐसे समूहों का वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिये बन्दोबस्त निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत नये आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी प्रणाली से किया जायेगा।

1.2.2 शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकाय इकाई के समस्त देशी मदिरा समूहों की वर्ष 2012–13 की वार्षिक राशि में से 70 प्रतिशत वार्षिक राशि के समूहों के लिए नवीनीकरण आवेदन प्राप्त नहीं होने पर राजस्व हित में उक्त निकाय के देशी मदिरा समूहों का नवीनीकरण नहीं किया जाकर उस निकाय के समूहों का पुनर्निर्धारण कर वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिए बंदोबस्त किया जायेगा।

1.3 आरक्षित राशि का निर्धारण :

1.3.1 वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये देशी मदिरा समूहों की वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का निर्धारण वर्ष 2011–12 की वार्षिक राशि में 8 प्रतिशत की वृद्धि देकर एवं वर्ष 2013–14 के लिये देशी मदिरा समूहों की वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का निर्धारण वर्ष 2012–13 की वार्षिक राशि में 8 प्रतिशत की वृद्धि कर किया जायेगा।

उदाहरण :–

वर्ष 2011–12 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि	रू.10,00,000/–
वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित होने वाली वार्षिक राशि (वर्ष 2011–12 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि का 108 प्रतिशत)	रू.10,80,000/–
वर्ष 2013–14 के लिये निर्धारित होने वाली वार्षिक राशि (वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि का 108 प्रतिशत)	रू.11,66,400/–

1.3.2 अनुज्ञाधारी वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित एकाकी विशेषाधिकार राशि को बढ़ाकर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में उस अनुज्ञाधारी के लिये वर्ष 2013–14 की एकाकी विशेषाधिकार राशि 2012–13 की एकाकी विशेषाधिकार राशि से 8 प्रतिशत वृद्धि देकर निर्धारित की जायेगी।

1.4 आवेदन शुल्क :

1.4.1 देशी मदिरा समूहों का वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिये नवीनीकरण हेतु आवेदन शुल्क उस समूह की वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित एकाकी विशेषाधिकार राशि का 6.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

उदाहरण :–

वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि	**देय आवेदन शुल्क**
रू.10,80,000/–	रू.70,200/–

1.4.2 नवीनीकरण से शेष रहे समूहों के बन्दोबस्त के लिए आवेदन आमंत्रित कर, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी प्रणाली से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सफल आवेदक का चयन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

श्रेणी	**निर्धारित शुल्क**
10 लाख तक की आरक्षित राशि वाले समूह	20,000/–
10 लाख से अधिक आरक्षित राशि वाले समूह	25,000/–

1.5. अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि :

1.5.1 वर्ष 2011–12 के अनुरूप ही वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 के लिये निर्धारित सम्पूर्ण वार्षिक राशि का मदिरा उठाव में भराव दिया जायेगा।

1.5.2 वर्ष 2013–14 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि की 12.5 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि के पेटे नकद राजकोष में जमा कराई जावेगी। इसमे सें 8.00 प्रतिशत राशि वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रारम्भ होने से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी।

1.5.3 अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि (वर्ष 2013–2014) की शेष 4.5 प्रतिशत राशि माह सितम्बर 2012 तक राजकोष में जमा कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार जमा अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिये मान्य होगी।

उदाहरण :–

1.	वर्ष 2013–14 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि	रू. 1166400/–
2.	वित्तीय वर्ष 2012–13 के प्रारम्भ होने से पूर्व जमा होने वाली राशि (कालम नं.1 का 8%)	रू. 93312/–
3.	सितम्बर 2012 तक जमा होने वाली राशि (कॉलम नं. 1 का 4.5%)	रू. 52488/–
4.	कुल देय अग्रिम ए.वि. राशि (कॉलम नं. 1 का 12.50%)	रू. 145800/–

1.5.4 उक्त अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि वित्तीय वर्ष 2013–14 के माह जनवरी एवं फरवरी में प्रतिमाह 4 प्रतिशत एवं माह मार्च में 4.5 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के आबकारी शुल्क में समायोजन योग्य होगी।

1.6 धरोहर राशि :

1.6.1 वर्ष 2012–13 हेतु वर्ष 2013–14 की वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 12.50 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में नकद जमा की जायेगी। नवीनीकरण का विकल्प लेने वाले अनुज्ञाधारी की वर्ष 2011–12 की जमा धरोहर राशि को मुक्त नही किया जाकर वर्ष 2012–13 की धरोहर राशि के पेटे राजकोष में जमा रखी जायेगी।

1.6.2 वर्ष 2012–13 में एकाकी विशेषाधिकार राशि में हुई वृद्धि के कारण बढ़ी हुई धरोहर राशि के अन्तर की राशि नवीनीकरण आवेदन शुल्क के साथ ही 29 फरवरी, 2012 तक जमा करवानी होगी।

1.6.3 वर्ष 2013–14 के लिये वर्ष 2012–13 के लिये जमा धरोहर राशि को मुक्त नही किया जाकर वर्ष 2013–14 की धरोहर राशि के पेटे राजकोष में जमा रखने के साथ ही वर्ष 2013–14 की वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार

राशि एवं वर्ष 2012–13 की वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के अन्तर की 12.50 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में 28 फरवरी, 2013 तक नकद जमा करवानी होगी।

1.7 देशी मदिरा की किस्मों का उत्पादन एवं आपूर्ति अनुपात :

1.7.1 वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में 40, 50 एवं 60 यू.पी. की तेजी की मदिरा का उत्पादन एवं आपूर्ति निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है:–

1.7.1.1 कुल आपूर्ति की न्यूनतम 30 प्रतिशत मदिरा 50 अथवा 60 यू.पी. का होना आवश्यक होगा ।

1.7.1.2 कुल मदिरा आपूर्ति (बल्क लीटर में) का न्यूनतम 25 प्रतिशत ग्लास पात्रों में 40 यूपी मदिरा एवं कुल आपूर्ति की शेष मात्रा 40, 50 एवं 60 यू. पी. की मदिरा ग्लास/पेट पात्रों में आपूर्ति की जा सकेगी।

1.7.1.3 निर्माताओं द्वारा देशी मदिरा का ग्लास पात्रों में उत्पादन उपरोक्त अनुपात में नही किये जाने पर रू. 15/– प्रति कार्टन की शास्ती आरोपित की जायेगी।

1.7.1.4 विभिन्न जिलों में ग्लास पात्र में मदिरा की मांग के अनुरूप ग्लास पात्रों में देशी मदिरा की सप्लाई सुनिश्चित करने का दायित्व राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का होगा। इसके लिए उनके द्वारा निर्धारित प्रतिशत से अधिक ग्लास पात्र में भराई कर इस प्रकार की आपूर्ति सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त बिन्दु संख्या 1.7. 1.3 के अन्तर्गत शास्ती से प्राप्त राशि राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स को दी जायेगी।

1.7.2 प्रत्येक माह की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 30 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव से किया जाना आवश्यक होगा। लेकिन एक माह में 50/60 यूपी की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नही हो पाने से अनुज्ञाधारी उसी त्रैमास के अन्य माह/माहों में 50 एवं 60 यूपी की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति इस प्रकार से सुनिश्चित करेगा कि उक्त त्रैमास के 3 माहों की मासिक एकाकी विशेषाधिकारी राशि के योग की 30 प्रतिशत की गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से हो।

1.7.2.1 एक त्रैमास में इस अनुपात से कम उठाव होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को 50/60 यूपी की देशी मदिरा की गारन्टी पूर्ति के लिये देय आबकारी शुल्क एवं वास्तविक रूप से 50/60 यूपी देशी मदिरा उठाव से गारन्टी पूर्ति की अन्तर की राशि नकद रूप से पृथक से जमा करवानी होगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

1.8 देशी मदिरा का थोक निर्गम मूल्य :

देशी मदिरा का थोक आपूर्ति मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें थोक अनुज्ञाधारी का मार्जिन सम्मिलित है :–

क्र.सं.	देशी मदिरा की किस्म	वर्तमान पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रूपये में)	पव्वों के निर्धारित प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रूपये में)
1.	40 यू.पी.	330.00	355.00
2.	50 यू.पी.	310.00	330.00
3.	60 यू.पी.	290.00	290.00

1.8.1 मदिरा उत्पादन हेतु प्रयुक्त ग्रासव, पात्र एवं अन्य विविध खर्च के पैरामीटर के आधार पर पव्वों के कार्टन के लिये किये गये निर्गम मूल्य निर्धारण के अनुरूप ही अद्धा एवं बोतल के कार्टन के निर्गम मूल्य का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

1.9 कम्पोजिट दुकान :

1.9.1 राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा की समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी, परन्तु यह शर्त ऐसी दुकानों पर लागू नहीं होगी जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित है।

1.9.2 वर्ष 2012–13 हेतु ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2011–12 की भा.नि.वि.म. एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 3.50 प्रतिशत अथवा वर्ष 2011–12 हेतु निर्धारित कम्पोजिट फीस में से जो भी अधिक हो, निर्धारित की जावेगी।

वर्ष 2013–14 हेतु ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2012–13 की भा.नि.वि.म. एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 3.50 प्रतिशत अथवा वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित कम्पोजिट फीस में से जो भी अधिक हो, निर्धारित की जावेगी।

स्पष्टीकरण :–

(i) **एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) :**

किसी भी समूह के अनुज्ञाधारी द्वारा उस समूह की कम्पोजिट दुकानों हेतु मदिरा एवं बीयर के क्रय हेतु आर.एस.बी.सी.एल. को वित्तीय वर्ष 2011–12 अथवा 2012–13 (जो भी लागू हो) के प्रथम 9 माह में समूह की उन सभी कम्पोजिट दुकानों द्वारा कुल अदा की गई राशि (Including all levies) को (4/3) के फेक्टर से गुणा कर अनुएलाईज्ड बिलिंग राशि की गणना की जायेगी।

(ii) वर्ष 2011–12 अथवा 2012–13 (जो भी लागू हो) में ग्रामीण क्षेत्र के किसी समूह में एक से अधिक कम्पोजिट दुकानें होने पर आर.एस.बी. सी.एल से भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर की वर्ष 2011–12 अथवा 2012–13 (जो भी लागू हो) की सभी कम्पोजिट दुकानों की कुल एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि को समान रूप से प्रति कम्पोजिट दुकान विभाजित किया जाकर वर्ष 2012–13 अथवा 2013–14 (जो भी लागू हो) हेतु कम्पोजिट राशि निर्धारित की जायेगी।

1.9.3 वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा दुकानों की वर्षवार जमा पूरी कम्पोजिट फीस, भा.नि.वि.म. एवं बीयर के लिये निर्धारित न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के पेटे सम्बन्धित वर्ष में समायोजन योग्य होगी।

1.9.4 वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में ऐसी दुकानें जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित है, उन पर उस नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि. मदिरा/ बीयर दुकान की उस वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस के बराबर ही कम्पोजिट फीस दो भागों यथा बेसिक लाईसेंन्स फीस एवं शेष न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस वसूल की जावेगी। न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस भा.नि.वि.म. एवं बीयर के लिये निर्धारित स्पेशल वेण्ड फीस के पेटे समायोजन योग्य होगी।

1.9.5 प्रत्येक जिले में भा.नि.वि.मदिरा/बीयर के त्रैमासिक उठाव की औसत वृद्धि की 20 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले कम्पोजिट समूहों (5 किलोमीटर की परिधि में स्थित कम्पोजिट दुकानों को छोड़कर) के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा बिन्दु संख्या 1.9.2 के अन्तर्गत जमा कराई गई कम्पोजिट फीस के 5 प्रतिशत राशि के बराबर त्रैमासिक शास्ति आरोपित की जायेगी। उक्त कम उठाव वाले समूहों की गणना प्रत्येक तिमाही के पश्चात् की जायेगी। एक त्रैमास में जमा शास्ति राशि का समायोजन स्पेशल वेण्ड फीस में उसी

वित्तीय वर्ष की आगामी अवधि में दिया जायेगा। इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

1.10 देशी मदिरा के अवैध व्यापार को हतोत्साहित किये जाने हेतु वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 110 प्रतिशत से अधिक उठाव करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 100 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

1.11 वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में मदिरा आपूर्ति का अनुपात राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का अधिकतम 50 प्रतिशत तथा निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट का संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत होगा परन्तु इसमें से निजी बोटलिंग प्लान्ट का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

1.12 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. संविदा आधारित भराई व्यवस्था के अन्तर्गत निजी बोटलर्स से देशी मदिरा भराई करवा सकेगा।

1.13 देशी मदिरा का आयात :

वर्ष 2011–12 की व्यवस्था के अनुरूप ही वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के दौरान भी राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति में कमी होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा राज्य के बाहर से देशी मदिरा का राज्य में आयात करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

1.14 डूंगरपुर–बांसवाड़ा जिलों में देशी शराब का विक्रय :

इन जिलों में देशी मदिरा विकय हेतु वर्ष 2011–12 की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

1.15 मदिरा भराई के लिये उपयोग में लाई जाने वाली पेट बोतल की गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के विषय में विस्तृत निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके है । वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में पेट पात्रों में भराई की व्यवस्था आबकारी आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1.16 वर्ष 2011–12 में देशी मदिरा की आपूर्ति व्यवस्थित करने हेतु मदिरा पात्रों पर आपूर्ति हेतु नामित जिले के नाम के अंकन में शिथिलता प्रदान की गई थी। अतः वर्ष 2012–13 से मदिरा पात्रों पर जिले का नाम अंकित करने की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। देशी मदिरा के

ग्लास/पेट पात्रों पर CL-RAJASTHAN उत्कीर्ण कराये जाने की व्यवस्था को चरणों में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1.17 40 यूपी देशी मदिरा के लेबल पर "स्ट्रॉग देशी मदिरा" का उल्लेख किया जायेगा।

1.18 वर्ष 2011–12 में दो या दो से अधिक दुकान वाले मदिरा समूह को एक गोदाम की सुविधा निशुल्क तौर पर उपलब्ध है। इसको यथावत रखते हुये वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में 10 लाख से अधिक वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि वाले एकल दुकान समूह को रू0 15000/– की वार्षिक फीस पर एक गोदाम की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(2) भारत निर्मित विदेशी मदिरा/विदेशी मदिरा :

2.1 भा.नि.वि.मदिरा/बीयर की खुदरा दुकानों का बन्दोबस्त आगामी दो वर्षों यथा वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 हेतु, किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.2 **बन्दोबस्त की प्रणाली :** वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 हेतु बन्दोबस्त प्रणाली निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2011–12 की सभी भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की खुदरा दुकानों के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 हेतु अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का विकल्प निर्धारित शर्तों पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.3 **नवीनीकरण आवेदन शुल्क :**

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिये नवीनीकरण आवेदन शुल्क, वर्ष 2012–13 की निर्धारित बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग का 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

2.4 वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिये नवीनीकरण से शेष रहने वाली दुकानों का बन्दोबस्त वर्ष 2011–12 की नीति के अनुरूप आवेदन आमंत्रित कर एवं एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लॉटरी निकाल कर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। इसके लिये आवेदन शुल्क वर्ष 2012–13 की निर्धारित बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग का 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

2.5 लाईसेन्स फीस :

2.5.1 वर्ष 2012–13 हेतु लाईसेन्स फीस श्रेणीवार निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	वर्ष 2011–12 में वार्षिक लाईसेन्स फीस	वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस		
			बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर व जोधपुर	9.00	4.50	6.50	11.00
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	7.20	3.60	5.40	9.00
3.	अन्य जिला मुख्यालय	4.80	2.40	3.60	6.00
4.	अन्य नगरपालिकाएँ	3.90	1.95	3.05	5.00

वर्ष 2012–13 के लिये उक्त लाईसेन्स फीस अनुज्ञाधारी को 29 फरवरी 2012 तक जमा करानी होगी।

2.5.2 वर्ष 2013–14 हेतु लाईसेन्स फीस श्रेणीवार निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	वर्ष 2012–13 में वार्षिक लाईसेन्स फीस	वर्ष 2013–14 के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस		
			बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर व जोधपुर	11.00	6.00	7.50	13.50
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	9.00	5.00	6.00	11.00
3.	अन्य जिला मुख्यालय	6.00	3.30	4.20	7.50
4.	अन्य नगरपालिकाएँ	5.00	2.70	3.30	6.00

वर्ष 2013–14 के लिये उक्त लाईसेन्स फीस अनुज्ञाधारी को 28 फरवरी 2013 तक जमा करानी होगी।

2.6 न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस :

2.6.1 वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिये क्रमशः बिन्दु संख्या 2.5.1 एवं 2.5.2 में अंकित विभिन्न श्रेणियों के अनुज्ञाधारियों द्वारा सम्बन्धित वर्ष में भुगतान की गई न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस की राशि, भा.नि.वि.मदिरा/बीयर के लिये निर्धारित प्रति बल्क लीटर स्पेशल वेण्ड फीस के पेटे (जो कि अनुज्ञाधारी द्वारा देय है) सम्बन्धित वर्ष में ही समायोजित की जायेगी। सम्बन्धित वर्ष में उक्त समायोजन के पश्चात अनुज्ञाधारी को भा.नि.वि.मदिरा/बीयर के निर्गम पर निर्धारित दर से स्पेशल वेण्ड फीस अलग से जमा करवानी होगी।

2.6.2 प्रत्येक जिले में भा.नि.वि.मदिरा/बीयर के त्रैमासिक उठाव की औसत वृद्धि की 20 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले भा.नि.वि.मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ की दुकान एवं 5 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र के कम्पोजिट अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा बिन्दू संख्या 2.5 के अन्तर्गत जमा कराई गई न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस की 5 प्रतिशत राशि के बराबर त्रैमासिक शास्ति आरोपित की जायेगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना प्रत्येक तिमाही के पश्चात् की जायेगी। एक त्रैमास में जमा शास्ति राशि का समायोजन स्पेशल वेण्ड फीस के पेटे उसी वित्तीय वर्ष की आगामी अवधि में दिया जा सकेगा। इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

2.7 BIO (Bottled in Origin) :

वर्ष 2011–12 तक विदेशी मदिरा (BIO) की आपूर्ति विभिन्न विदेशी मदिरा ब्राण्ड के मदिरा/बीयर बोण्ड अनुज्ञाधारियों द्वारा आर.एस.बी.सी.एल. के डिपों को की जाती रही है। इसके अतिरिक्त होटल/रेस्टोरेंन्ट बार अनुज्ञाधारियों द्वारा मदिरा/बीयर अन्य राज्यों में स्थित बोण्ड अनुज्ञाधारियों से सीधे भी आयात की जा रही है। विदेशी मदिरा/बीयर (BIO) के राज्य में आयात करने पर आबकारी ड्यूटी के बराबर होलसेल ट्रेड लाईसेन्स फीस देय है। अतः विदेशी मदिरा के आयात को सुव्यवस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.7.1 BIO विदेशी मदिरा/ बीयर के लिये होलसेल ट्रेड लाईसेन्स फीस को निकटवर्ती राज्यों में अध्ययन कर तर्क संगत बनाया जायेगा।

2.7.2 BIO ब्राण्ड के होलसेल वेण्ड राज्य में जयपुर जिले की सीमा में स्वीकृत किये जा सकेगे उक्त होलसेल वेण्ड की लाईसेन्स फीस प्रति वर्ष 10 ब्राण्ड के लिये 6 लाख रूपये निर्धारित की गयी है एवं 10 ब्राण्ड से ऊपर प्रत्येक ब्राण्ड के लिये 10 हजार रू. प्रति ब्राण्ड वार्षिक लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है।

2.7.3 आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले ब्राण्ड की कम्पनी द्वारा अधिकृत होने पर ही उनसे उक्त ब्राण्ड की आपूर्ति ली जा सकेगी।

2.7.4 BIO ब्राण्ड वाईन की प्रति लेबल अनुमोदन फीस रूपये 5000/– एवं BIO विदेशी मदिरा की प्रति लेबल अनुमोदन फीस रूपये 25000/– निर्धारित की गयी है।

2.8 भा.नि.वि. मदिरा पर आबकारी शुल्क की दर मे संशोधन :–

2.8.1 किसी भी ब्राण्ड के बोतल, अद्धे एवं पव्वे के कार्टन के घोषित एक्स डिस्टलरी मूल्य के आधार पर ही उस पर आरोपित होने वाले आबकारी शुल्क की गणना की जायेगी। कार्टन का आशय 750 मिली की धारिता की 12 बोतल अथवा 375 मिली की 24 अद्धे अथवा 180 मिली की धारिता के 48 पव्वे अथवा अन्य धारिता के पात्रों की स्थिति में 9 बल्क लीटर मात्रा के लिये भरे गये पात्रों से है।

2.8.2 उपरोक्त बिन्दू संख्या 2.8.1 में प्रस्तावित व्यवस्था के फलस्वरूप ऐसी भा. नि.वि.मदिरा (जिसका विक्रय राज्य में होने वाले कुल विक्रय का 74.63 प्रतिशत है) के अद्धे एवं पव्वे का अधिकतम विक्रय मूल्य प्रभावित होना संभावित है। राज्य के उपभोक्ताओं को वैध मदिरा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने एवं राजस्व के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भा. नि.वि.मदिरा के लिये आबकारी ड्यूटी निम्नानुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

एक्स डिस्टलरी मूल्य	आबकारी शुल्क की वर्तमान दर	आबकारी शुल्क की संशोधित दर
रू. 400 से अधिक–500 तक	रू. 210 प्रति एल.पी.एल.	रू. 90 + (0.2 X एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति एल0पी0एल0
रू. 500 से अधिक–600 तक	रू. 210 प्रति एल.पी.एल.	रू. 210 प्रति एल0पी0एल0

2.8.3 वाइन, रेडी–टू–ड्रिंक ब्रिवरेज पर आबकारी शुल्क :

वाइन, रेडी–टू–ड्रिंक (Ready to Drink) पेय (फ्लेवर, कोका, फलों के जूस अथवा सोडा के साथ तैयार किये गये ऐसे Low Alcoholic Beverages)पर आबकारी शुल्क एक्स डिस्टलरी मूल्य का 40 प्रतिशत की दर से आरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.9 आर.एस.बी.सी.एल. की कोस्ट शीट (Cost Sheet) में एमआरपी का निर्धारणः–

2.9.1 भा.नि.वि. मदिरा के बोतल एवं अद्धे के अधिकतम विक्रय मूल्य को आगामी 5 रूपये में राउण्डऑफ किये जाने की प्रकिया को यथावत रखा जायेगा।

2.9.2 भा.नि.वि. मदिरा के पव्वे के अधिकतम विक्रय मूल्य को आगामी 5 रूपये में राउण्डऑफ किये जाने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाकर पव्वे के अधिकतम विक्रय मूल्य को आगामी 1 रूपये तक राउण्डऑफ किया जायेगा।

2.9.3 बीयर की समस्त धारिता के अधिकतम विक्रय मूल्य को आगामी 5 रूपये में राउण्डऑफ किये जाने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाकर अधिकतम विक्रय मूल्य को आगामी 1 रूपये तक राउण्डऑफ किया किया जायेगा।

2.9.4 बीयर (समस्त धारिता) एवं भा.नि.वि. मदिरा पव्वे के विक्रय पर खुदरा अनुज्ञाधारी को आर.एस.बी.सी.एल. की कोस्ट **शीट** में देय 20 प्रतिशत मार्जिन को बढ़ाकर 23 प्रतिशत मार्जिन दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2.10 180 एम.एल धारिता से कम के पात्रों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा भराई की अनुमति केवल 250 रू0 प्रति एल.पी.एल. आबकारी शुल्क के ऊपर के भारत निर्मित विदेशी मदिरा के ब्रॉण्डस पर ही दी जायेगी।

(3) रिटेल ऑन : होटल/क्लब/रेस्टोरेण्ट बार :

वर्ष 2012–13 के लिये होटल/क्लब/रेस्टोरेंन्ट बार के लिये बेसिक लाईसेन्स फीस को वर्ष 2011–12 की लाईसेन्स फीस के बराबर रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त होटल/क्लब/रेस्टोरेन्ट के लिये न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस का प्रावधान किया गया है, जो कि होटल/क्लब/रेस्टोरेन्ट द्वारा भा.नि.वि.मदिरा/बीयर पर देय स्पेशल वेण्ड फीस में समायोजन योग्य होगी।

3.1 विभिन्न श्रेणी की होटलों /लग्जरी ट्रेन के बार लाईसेन्स हेतु वर्ष 2012–13 के लिये लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

3.1.1 सितारा होटल / लग्जरी ट्रेन :

वर्ष 2012–13 में सितारा होटल के लिये लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	लाईसेंस फीस वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित लाईसेंस फीस		
			बेसिक लाईसेंस फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1	पांच सितारा होटल	15.00	15.00	0.50	15.50
2	चार सितारा होटल	10.00	10.00	0.50	10.50
3	तीन सितारा होटल	8.00	8.00	0.50	8.50
4	लग्जरी ट्रेन	8.00	8.00	0.50	8.50

3.1.2 हैरिटेज होटल :

इस श्रेणी के बार लाइसेन्स के लिये लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(राशि लाख रूपये में)

क.सं.	श्रेणी	लाईसेन्स फीस वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित लाईसन्स फीस		
			बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1	हैरिटेज – अ	8.00	8.00	0.25	8.25
2	हैरिटेज – ब	5.00	5.00	0.25	5.25
3	हैरिटेज – स	3.00	3.00	0.25	3.25

3.1.3 अन्य होटल :

अन्य श्रेणी के होटलों के बार लाईसेन्स हेतु वार्षिक लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(राशि लाख रूपये में)

क.सं.	श्रेणी	लाईसेन्स फीस वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित लाईसन्स फीस		
			बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1	वे होटल जो इन स्थानों पर और इनकी नगरीय सीमा के 5 किलोमीटर सीमा में स्थित हो				
	(अ) जयपुर/जोधपुर	7.50	7.50	0.50	8.00
	(ब) अन्य सम्भाग मुख्यालय, माउन्ट आबू एवं जैसलमेर	6.50	6.50	0.50	7.00
	(स) अन्य जिला मुख्यालय	5.50	5.50	0.50	6.00
	(द) अन्य नगरपालिका एवं भिवाड़ी	4.00	4.00	0.50	4.50
2	अन्य वे होटल जो उपरोक्त अ से द स्थानों में शामिल नही।	3.00	3.00	0.50	3.50

3.2. रेस्टोरेन्ट बार :

विभिन्न श्रेणी के रेस्टोरेंन्टस् के बार लाईसेन्स हेतु वर्ष 2012–13 के लिये लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(राशि लाख रूपये में)

क. सं.	श्रेणी	लाईसेन्स फीस वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित लाईसन्स फीस		
			बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1	वे रेस्टोरेन्ट जो इन स्थानों पर और इनकी नगरीय सीमा के 5 किलोमीटर सीमा में स्थित हो				
	(अ) जयपुर/जोधपुर	7.00	7.00	0.50	7.50
	(ब) अन्य सम्भाग मुख्यालय, माउन्ट आबू एवं जैसलमेर	5.00	5.00	0.50	5.50
	(स) अन्य जिला मुख्यालय	4.00	4.00	0.50	4.50
	(द) अन्य नगरपालिका एवं भिवाड़ी	3.50	3.50	0.50	4.00
2	अन्य वे रेस्टोरेन्ट जो उपरोक्त (अ) से (द) स्थानों में शामिल नही।	2.50	2.50	0.50	3.00

3.3 क्लब बार :

3.3.1 क्लब बार की लाईसेन्स फीस :

वर्ष 2012–13 के लिये लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	स्थान	लाईसेन्स फीस वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित लाईसन्स फीस		
				बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6	7
1	सिविल क्लब	जयपुर /जोधपुर	2.00	2.00	0.25	2.25
2	सिविल क्लब	अन्य स्थान	1.50	1.50	0.25	1.75
3	कॉमर्शियल क्लब	जयपुर /जोधपुर	6.00	6.00	0.50	6.50
4	कॉमर्शियल क्लब	अन्य स्थान	4.00	4.00	0.50	4.50

3.4 राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान पर्यटन विकास निगम को वर्ष 2012–13 के लिये रूपये 75 लाख रूपये की वार्षिक लाईसेन्स फीस पर कम्पोजिट बार लाईसेन्स दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम उनके होटल एवं लग्जरी ट्रेन पर बार सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के बार संचालित करने वाले प्रत्येक होटल/ ट्रेन के लिये रू. 25000/– न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस पृथक से देय होगी। इस हेतु प्रकिया पृथक से निर्धारित की जायेगी।

3.5 रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी द्वारा भा.नि.वि. मदिरा/बीयर निर्गम पर निर्धारित स्पेशल वेण्ड फीस देय होगी। यह स्पेशल वेण्ड फीस रिटेल ऑन अनुज्ञापत्र की बेसिक लाईसेन्स फीस के साथ जमा कराई गई न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस की सीमा तक समायोजन योग्य होगी । इसके बाद मदिरा/बीयर निर्गम पर स्पेशल वेण्ड फीस रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी को पृथक से जमा कराना होगा।

3.6 ऑकेजनल लाईसेन्स के लिये व्यवसायिक स्थलों का पंजीकरण :

व्यावसायिक समारोह स्थल पर आयोजित समारोह में मदिरा परोसने के लिए ओकेजनल लाईसेंस प्राप्त करने के लिए उस व्यावसायिक समारोह स्थल का जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में आवश्यक रूप से पंजीबद्ध होना

आवश्यक है। व्यावसायिक समारोह स्थल के पंजीकरण के लिए वार्षिक पंजीकरण शुल्क 5000 रू. एवं पूर्व में पंजीकृत समारोह स्थल के पंजीबद्ध नवीनीकरण के लिए वार्षिक पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क 5000 रू. निर्धारित किया जाता है।

होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापत्र से युक्त संस्थानों पर आयोजित समारोह में आयोजक व्यक्ति द्वारा स्वयं की व्यवस्था से मदिरा क्रय कर परोसने की सुविधा के लिये ओकेजनल लाईसेन्स प्राप्त करने के लिये ओकेजनल लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(रूपये में)

होटल	लाईसेन्स फीस प्रति दिवस
(अ) जयपुर/जोधपुर	10000
(ब) अन्य सम्भाग मुख्यालय, माउन्ट आबू एवं जैसलमेर	8000
(स) अन्य जिला मुख्यालय	5000
(द) अन्य नगरपालिका एवं भिवाड़ी	4000
उपरोक्त (अ) से (द) में शामिल नही	3000

(4) भांग :

भांग की खुदरा दुकानों का बन्दोबस्त आगामी दो वर्षो 2012–13 एवं 2013–14 हेतु, किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4.1. वर्ष 2011–12 के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 हेतु अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का विकल्प निर्धारित शर्तों पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

4.2 वर्ष 2012–13 के लिये समूहवार लाईसेन्स फीस, वर्ष 2011–12 में प्राप्त राशि में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर निर्धारित की गई है।

4.3 वर्ष 2013–14 के लिए समूहवार लाईसेन्स फीस, वर्ष 2012–13 में प्राप्त राशि में 5 प्रतिशत वृद्धि की जाकर निर्धारित की गई है।

4.4 वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 हेतु नवीनीकरण शुल्क, वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस का 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

4.5 वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 के लिये नवीनीकरण से शेष रहने वाले समूह का वर्ष 2011–12 के अनुरूप निविदायें आमंत्रित कर विभाग द्वारा अनुज्ञापत्र जारी किये जायेंगे ।

(5) डोडा पोस्त :

डोडा पोस्त समूहों का बन्दोबस्त दो वर्षों 2012–13 एवं 2013–14 हेतु, निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5.1 वर्ष 2011–12 के खपत क्षेत्र के 24 डोडा पोस्त समूह एवं उत्पादन क्षेत्र के 12 डोडा पोस्त समूह के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिये नवीनीकरण का विकल्प निर्धारित शर्तो पर दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

5.2 वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिये उत्पादन क्षेत्र के समूहों, खपत क्षेत्र के थोक समूहो एवं खुदरा समूहों की लाईसेन्स फीस को वर्ष 2011–12 के अनुसार यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

5.3 वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिये उत्पादन एवं खपत क्षेत्रों के समूहों का नवीनीकरण शुल्क उस समूह की वर्ष 2011–12 की लाईसेन्स फीस का दो प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

5.4 खपत एवं उत्पादन क्षेत्रों के अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण एवं बन्दोबस्त तीन चरणों में निम्नानुसार किया जायेगा:–

5.4.1 प्रथम चरण :

प्रथम चरण में खपत क्षेत्र के समूहों के अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण किया जायेगा। खपत क्षेत्र के ऐसे अनुज्ञाधारी जो कि उत्पादन क्षेत्र के भी अनुज्ञाधारी हैं के अनुज्ञापत्रो का नवीनीकरण इस शर्त पर ही किया जायेगा कि वे अपने उत्पादन क्षेत्र में भी नवीनीकरण के विकल्प का चयन करें, ऐसे अनुज्ञाधारियों के उत्पादन क्षेत्र के अनुज्ञापत्रों का नवीनीकरण उनके खपत क्षेत्र के अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण के साथ किया जायेगा।

5.4.2 द्वितीय चरण :

द्वितीय चरण में खपत क्षेत्र के ऐसे समूह जिनके अनुज्ञाधारियों द्वारा प्रथम चरण में नवीनीकरण नही करवाया गया है, का बन्दोबस्त वर्ष 2011–12 के अनुरूप आवेदन आमंत्रित कर एवं एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा लॉटरी निकाल कर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा।

5.4.3 तृतीय चरण :

तृतीय चरण में उत्पादन क्षेत्र के ऐसे समूह जिनके अनुज्ञाधारियों द्वारा प्रथम चरण में नवीनीकरण नहीं करवाया गया है, का बन्दोबस्त वर्ष 2011–12 के अनुरूप उत्पादन क्षेत्र के समूह का आवंटन खपत क्षेत्र के चयनित अनुज्ञाधारियों के मध्य आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2011–12 के अनुरूप लॉटरी निकाल कर किया जायेगा ।

5.5 डोडा पोस्त का खरीद मूल्य वर्ष 2011–12 में रू 125/– प्रति कि.ग्रा. था । इसको यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

5.6 डोडा पोस्त के अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य रूपये 500 प्रति किलोग्राम यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

5.7 राज्य में डोडा पोस्त की कुल मांग तथा डोडा पोस्त उत्पादन होने वाले जिलों में कुल कितनी आरी में अफीम की काश्त की गई है, इसके आधार पर उत्पादन क्षेत्र के अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक काश्तकार से कितना डोडा पोस्त प्रति आरी क्रय किया जायेगा, इसका निर्धारण राज्य सरकार के स्तर से किये जाने का निर्णय लिया गया है। । उत्पादन क्षेत्र के अनुज्ञाधारी को इस प्रकार नियमान्तर्गत अफीम के हर काश्तकार एवं हर गांव से उक्त निर्धारित मात्रा के अनुरूप डोडा–पोस्त को क्रय करना आवश्यक होगा।

(6) अन्य फीस में संशोधन :

6.1 देशी मदिरा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला प्रासव :

6.1.1 देशी मदिरा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले शोधित प्रासव की आयात परमिट फीस (Bringing into permit fee) वर्तमान में रू. 3/– प्रति बल्क लीटर के स्थान पर रू. 2/– प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स को आयात परमिट फीस में पूर्व में दी गई छूट को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

6.1.2 वर्ष 2011–12 में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स एवं निजी क्षेत्र के लिये देशी मदिरा उत्पादन हेतु प्रयुक्त होने वाले ग्रेन/मोलासेज आधारित प्रासव का अनुपात 60:40 निर्धारित रहा है। देशी मदिरा निर्माताओं द्वारा 40 प्रतिशत मोलासेज आधारित प्रासव से अधिक मात्रा में आयात किये जाने वाले मोलासेज आधारित प्रासव पर रू0 2.00 प्रति बल्क लीटर अतिरिक्त आयात परमिट शुल्क आरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है । यह अतिरिक्त आयात परमिट फीस आर.एस.जी.

एस.एम. द्वारा भी देय होगी। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देश जारी किये जायेंगे।

6.2 निर्यात शुल्क /आयात शुल्क :

6.2.1 वर्तमान में भा.नि.वि.मदिरा जो राजस्थान राज्य में भराई कर अन्य राज्यों में निर्यात की जाती है, ऐसी निर्यात की जाने वाली मदिरा की बोटलिंग फीस (रू. 2.40 प्रति बल्क लीटर) में 75 प्रतिशत की छूट पहले से ही दी जा रही है। निर्यात किये जाने वाली भा.नि.वि.म. पर वर्तमान में देय 500 रू. प्रति परमिट फीस निर्धारित है। परमिट फीस 500 रूपये प्रति परमिट को समाप्त करते हुए, निर्यात परमिट फीस (Sending out fee) को रू. 0.20 प्रति बल्क लीटर को बढ़ाकर रू. 2.00 प्रति बल्क लीटर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6.2.2 वर्तमान में बीयर जो राजस्थान राज्य में भराई कर अन्य राज्यों में निर्यात की जाती है ऐसी निर्यात की जाने वाली बीयर की बोटलिंग फीस (रू. 1.50/2.30 प्रति बल्क लीटर) में 50 प्रतिशत की छूट वर्तमान में दी जा रही है। निर्यात किये जाने वाली बीयर पर वर्तमान में 500 रू. प्रति परमिट फीस निर्धारित है । परमिट फीस 500 रूपये प्रति परमिट को समाप्त करते हुए, बीयर निर्यात पर निर्यात परमिट फीस रू. 1.50 प्रति बल्क लीटर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6.2.3 ई.एन.ए. (Extra Neutral Alcohol) पर वर्तमान में रू. 3/– प्रति बल्क लीटर की दर से आयात परमिट फीस (Bringing into permit fee) आरोपित की जाती है। स्थानीय आश्वनियों को प्रोत्साहन देने के लिये उक्त आयात परमिट फीस को रू. 4/– प्रति बल्क लीटर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6.3 स्पेशल_वेण्ड फीस :

वर्ष 2011–12 के अनुरूप ही भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिये रू.10/– प्रति बल्क लीटर तथा बीयर के लिये रू. 5/– प्रति बल्क लीटर स्पेशल वेण्ड फीस यथावत रखी जायेगी। यह स्पेशल वेण्ड फीस कॉस्ट शीट/एम.आर.पी. का भाग नही होकर खुदरा अनुज्ञाधारी द्वारा पृथक से देय होगी।

बीयर एवं भा.नि.वि. मदिरा पर आरोपित उक्त स्पेशल वेण्ड फीस रिटेल ऑन, रिटेल ऑफ अनुज्ञाधारियों द्वारा देय होगी। रिटेल ऑफ एवं रिटेल ऑन अनुज्ञाधारियों द्वारा जमा कराई गई न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस की राशि एवं कम्पोजिट अनुज्ञाधारियों द्वारा जमा कराई गई, कम्पोजिट फीस की पूर्ण राशि

भा.नि.वि.म./बीयर निर्गम पर देय निर्धारित स्पेशल वेण्ड फीस के पेटे समायोजन योग्य होगी।

6.4 ब्राण्ड व लेबल रजिस्ट्रेशन फीस :

वर्ष 2011–12 में लेबल रजिस्ट्रेशन फीस रूपये 25000/– प्रति लेबल (बोतल, अद्धा एवं पव्वे एवं अन्य के लेबल को एक ही मानते हुये) निर्धारित है। वर्ष 2012–13 के लिये मदिरा/बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रूपये 50000/– प्रति ब्राण्ड एवं प्रत्येक धारिता एवं लेबल पर अंकित विवरण में भिन्नता होने पर लेबल स्वीकृति फीस रूपये 25000/– प्रति लेबल निर्धारित की जाती है।

राज्य के बाहर स्थित मदिरा/बीयर निर्माण इकाईयों के लेबल की स्वीकृति उनकी उत्पादन क्षमता, व्यवसायिक प्रतिष्ठा एवं आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्य प्रणाली की निर्विवाद छवि के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(7) नवाचार :–

7.1 राज्य सरकार राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 41(डी) के अन्तर्गत आबकारी वस्तुओं के परिवहन को विनियमित करने के लिये नियम बना सकती है। अन्य राज्यों की मदिरा/बीयर के वाहन राज्य में से होकर गुजरने के संदर्भ में नियम वर्तमान नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नही है। राजस्थान राज्य में से आबकारी वस्तुयें लेकर गुजरने वाले ऐसे वाहनों पर आबकारी विभाग के प्रभावी नियंत्रण होना आवश्यक है । अतः राजस्थान राज्य में से आबकारी वस्तुयें लेकर गुजरने वाले वाहनों के परिवहन को विनियमित करने के लिये नियम बनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

7.2 मदिरा के अवैध कारोबार की मुखबरी के लिये जागृति पैदा करने के लिये मुखबिर प्रोत्साहन योजना 2009 (दिनांक 26.05.2009 से लागू) में आवश्यक संशोधन कर मुखबिरों को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ मदिरा/वाहन के निस्तारण के लिये भी प्रोत्साहन राशि दी जायेंगी। इस निर्णय से जप्त मदिरा/वाहन का निस्तारण शीघ्र होगा।

7.3 वर्तमान में आबकारी निरोधक दल में जयपुर एवं उदयपुर में दो कन्ट्रोल रूम स्थापित है। इन दोनों कन्ट्रोल रूम में सूचना दूरभाष से प्राप्त होती है तथा प्राप्त सूचना को कार्यवाही हेतु संबधित को प्रेषित किया जाता है। इन दोनों कन्ट्रोल रूम को अधिक प्रभावी बनाने के लिये मॉडल कॉल सेन्टर के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता है जिससे डाटा बेस में सूचनायें संकलित की जा कर उन पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। अतः विभाग में एक 24 X 7 मॉडर्न कॉल सेन्टर स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7.4 डिस्टलरी, ब्रेवरी एवं बोटलिंग प्लांट आदि उत्पादन संस्थानों पर सतत् निगरानी के लिये बूम बैरियर, मास फ्लो /अल्ट्रासोनिक मीटर एवं आईपी कैमरा आदि को स्टेट कंट्रोल रूम से जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है।

7.5 राज्य के समस्त आबकारी कार्यालयों में ऑनलाईन बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली एवं एचआर सिस्टम की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(8) आबकारी विभाग का सुदृढ़ीकरण एवं पारदर्शिता :–

8.1 आबकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण एवं अनुसंधान व्यवस्था :–

वर्तमान में राज्य में आबकारी अधिकारियों /कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु नियमित विभागीय व्यवस्था का अभाव है । नवीन नियुक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण राज्य की लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया जाता है। आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली में आबकारी अधिकारियों को राजस्व अर्जन एवं आबकारी अपराधों के रोकथाम की दोहरी भूमिका में कार्य करना पड़ता है। आबकारी विभाग की कार्य प्रणाली तकनीकी होने एवं समय–समय पर होने वाले विधिक परिवर्तनों की नवीनतम स्थिति के विषय में सामयिक प्रशिक्षण आवश्यक है।

अतः आबकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं नियमित अनुसंधान की व्यवस्था हेतु अन्य राज्यों में इसके लिये अपनाई गई प्रणाली का अध्ययन कर राज्य में लागू किया जायेगा।

8.2 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत मदिरा लाईसेंसधारी के निरीक्षण के लिये पुलिस अधिकारी अधिकृत नही है। अन्य किसी प्रकरण में जाँच के लिये आवश्यक हो तो पुलिस उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी, आबकारी निरीक्षक की मौजूदगी में जाँच कर सकेगा। इस प्रकार की गई जॉच के संबंध में टिप्पणी दुकान की निरीक्षण पुस्तिका में अंकित करवाई जायेगी।

8.3 वर्ष 2011–12 की आबकारी नीति में आबकारी वृत कार्यालयों में संविदा आधारित कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध कराई गई थी । वृत/प्रहराधिकारियों के कार्यालयों में दूरभाष मय इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नही होने से कम्प्यूटर सुविधा का समुचित उपयोग नही हो पा रहा है। अतः वृत/प्रहराधिकारी कार्यालयों पर उपलब्ध कम्प्यूटर सुविधा को अधिक उपयोगी बनाने के लिये दूरभाष मय इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

8.4 आबकारी विभाग को इस वित्तीय वर्ष (जनवरी 2012 तक) में अवैध मदिरा के परिवहन में जब्त वाहनों का नीलामी द्वारा निस्तारण किये जाने से रू. 10

करोड़ प्राप्त हुये हैं। आबकारी नीति वर्ष 2011–12 में वाहन निस्तारण से प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिये स्वीकृत किये गये थे। इसी अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष 2011–12 में वाहन निस्तारण से प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत राशि विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के लिये स्वीकृत किया जायेगा।

8.5 आबकारी तथा पुलिस विभाग द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध समन्वित अभियान को और प्रभावी और परिणात्मक किया जायेगा।

(9) वर्तमान में भारतीय सेना में सेवारत/सेवानिवृत कार्मिको तथा राजस्थान में तैनात सीमा सुरक्षा बल को कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट के माध्यम से आपूर्ति होने वाले रम पर आबकारी ड्यूटी छूट दी जाकर रम पर आबकारी ड्यूटी की दर 50/– रूपये प्रति एल.पी.एल. निर्धारित है। भारतीय सेना ने भारत निर्मित विदेशी मदिरा व्हिस्की ब्रान्डी, जिन एवं बीयर की आबकारी ड्यूटी में छूट दिये जाने पर विचार करने के लिये आग्रह किया है। इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों की नीति का अध्ययन कर इस बारे में निर्णय किया जायेगा।

(10) शुष्क दिवस एवं मद्य संयम :

10.1 वर्तमान में निर्धारित पांच शुष्क दिवस गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती हैं, आगामी वित्तीय वर्ष में इन शुष्क दिवसों को यथावत रखा जायेगा।

10.2 अनुज्ञापत्र प्राप्त रिटेल ऑफ दुकानें खुलने (10 बजे प्रातः) व बन्द (रात्रि 8 बजे) होने के समय की कठोरता से पालना की जायेगी।

10.3 मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

10.4 मदिरा के प्रत्येक पात्र पर लिखी जाने वाली चेतावनी "मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं" का उल्लेख किया जायेगा।

10.5 18 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग को नशीले पदार्थो की बिक्री न हो इस दिशा में और अधिक प्रयास किये जायेंगे।

10.6 दुकानों पर अनुज्ञाधारी का नाम, लाइसेन्स नम्बर, अवधि व मूल्य सूची के अलावा अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति नही होगी।

10.7 देशी मदिरा तथा भा.नि.वि.मदिरा/बीयर की दुकानों पर दुकान का साईन बोर्ड का नाप वर्तमान में 125X75 सेमी न्यूनतम होने का प्रावधान है। वर्ष 2012–13

से इस बोर्ड की नाप को 125X75 सेमी का किये जाने का निर्णय लिया गया है।

10.8 गैर सरकारी संस्थान तथा राज्य के कर्मचारियों द्वारा नशा निवारण तथा अवैध शराब की रोकथाम के लिये किये गये सराहनीय कार्य को राज्यस्तर पर सम्मानित किया जायेगा।

10.9. नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित की जायेगी।

10.10 मादक पदार्थों के सेवन के आदी व्यक्तियों की नशे की लत छुडवाने हेतु नशा–मुक्ति केन्द्र संचालित किये जाने की कार्ययोजना बनाई जाकर संबंधित विभाग के माध्यम से लागू की जायेगी।

10.11 ट्राईबल सबप्लान की पंचायत समितियों एवं जिन पंचायत समितियों में जिसमें बी.पी.एल की आबादी उस पंचायत समिति की जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक है, ऐसी पंचायत समितियों के क्षेत्र में मद्यसंयम का अभियान आबकारी एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया जायेगा।

(11) बन्दोब्रस्त से शेष रही दुकानों को आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकता होने पर अन्य जिले में स्थानान्तरित किये जाना अथवा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा संचालित कराया जायेगा ।

(12) आबकारी बन्दोबस्त के संबंध में शेष प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप ही रखे जायेगे।

(अभय कुमार)
शासन सचिव
वित्त (राजस्व) विभाग